न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 280/2025

श्री छोटूराम पुत्र नौरंगराम, निवासी देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, कार्यालय झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं

––रेस्पोडेन्ट.

––

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 12.06.2025 बाबत् प्रकाशित योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं करने के सम्बन्ध में।

––

उपस्थितः–

1. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती अनामिका प्रर्वतन निरीक्षक, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 15.10.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 12.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 12.06.2025 विरुद्ध कानून व न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक आवेदन पत्र राशन डीलर के लिए गया था और उक्त आवेदन पत्र के आधार पर सही व योग्य मानकर अपीलान्ट का चयन कर लिया गया था और अदालत मातहत के आदेशानुसार चालान की राशि भी जमा करवा दी गई थी। जिसके बाद भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.2025 के खिलाफ माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार कर दिनांक 10.09.2025 को श्रीमान् अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने के बाबत् आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के एक बार चयन किया जाने के बाद दूसरा विज्ञापन जारी करना गलत व गैर कानूनी है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 12.06.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का चयन किया गया है, के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 12.06.2025 विरुद्ध कानून व न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक आवेदन पत्र राशन डीलर के लिए गया था और उक्त आवेदन पत्र के आधार पर सही व योग्य मानकर अपीलान्ट का चयन कर लिया गया था और अदालत मातहत के आदेशानुसार चालान की राशि भी जमा करवा दी गई थी। जिसके बाद भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.2025 के खिलाफ माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार कर दिनांक 10.09.2025 को श्रीमान् अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने के बाबत् आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के एक बार चयन किया जाने के बाद दूसरा विज्ञापन जारी करना गलत व गैर कानूनी है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार किया जाकर आदेश

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिनांक 12.06.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का चयन किया गया है, के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे।

विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का लाईसेन्स जारी कर दिया गया था। अपीलान्ट लाईसेन्स लेने ही नही आया। जब अपीलान्ट लाईसेन्स लेने ही नही आया तो अन्य के चयन हेतु विज्ञप्ति नियमानुसार जारी की गई है। आज के दिन अपीलान्ट राशन डीलर की पात्रता भी नही रखता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्अ द्वारा की गई बहस मे अहम तर्क यह रहे कि अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट द्वारा राशन डीलर के पद पर आवेदन किया गया था जिसको नियमानुसार मानते हुए रसद विभाग द्वारा लाईसेन्स जारी करने हेतु जरिये चालान शुल्क जमा लिया जा चुका है। अपीलान्ट ने जिस रोज राशन डीलर हेतु आवेदन किया था उस रोज अपीलान्ट राशन डीलर के लिए पात्र था। माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी अपीलान्ट की रिट पीटिशन स्वीकार की है। चूंकि प्रथमदृष्टया अपीलान्ट के कथन उचित प्रतीत होते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12.06.2025 ग्राम देवरोड की राशन डीलर की नियुक्ति की हद तक निरस्त की जाती है साथ ही जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि वे अपीलान्ट को ग्राम देवरोड का राशन डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू